



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं० पटना 878) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

7 फरवरी 2020

सं० 2712—श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मशाला, निर्मली, जिला— सुपौल पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 4163 है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सुव्यवस्था के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 के तहत एक योजना का निरूपण करते हुए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 838, दिनांक 18.09.14 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है तथा कुछ सदस्यों द्वारा अपना त्याग-पत्र भी दे दिया गया है। नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली ने अपने पत्र दिनांक 13.08.19 द्वारा 11 नामों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.19 द्वारा 11 नामों की दूसरी सूची भेजी गई। कार्यरत न्यास समिति द्वारा पिछले वर्ष की आय-व्यय विवरणी एवं पर्षद शुल्क दाखिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पर्षद के पत्र दिनांक 28.09.19 द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.10.2019 को पिछले वर्ष की आय-व्यय विवरणी तथा पर्षद शुल्क, पर्षद में दिनांक 06.12.19 को प्राप्त कराया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की आय क्रमशः 1,06,525/- रु०, 1,09,725/- रु०, 1,10,775/- रु०, 1,12,325/- रु० दिखलाया गया है। तदनुसार पर्षद शुल्क जमा किया गया है। पर्षद द्वारा पृच्छा किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में धर्मशाला के ग्राउण्ड फ्लोर पर मात्र 4 दुकानें हैं जो बहुत पुराने दर से किराया देते हैं, जिससे मात्र 3400/- रु० प्रतिमाह किराया की आय है तथा धर्मशाला की स्थिति बहुत दयनीय है, जिससे कभी कभार कोई यात्री यहां रुकते हैं या छोटा-मोटा आयोजन होता है जिससे धर्मशाला की आय 18000/- रु० मात्र प्रतिवर्ष होती है और आय-व्यय विवरण में उल्लेख किया गया है कि 100/- रु० प्रतिदिन अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है तथा शेष सदस्यों द्वारा 100/- रु० प्रतिमाह चंदे के रूप में दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आय नहीं है। पर्षद को उपरोक्त धर्मशाला के जीर्णोद्धार तथा विकास के संबंध में आर्किटेक्ट बात्सल्य एसोसिएट द्वारा तैयार दो मंजिला नक्शा उपलब्ध कराते हुए आश्वस्त कराया है कि प्रस्तावित नक्शे के अनुसार निर्माण हो जाने पर उक्त संस्था की आय अच्छी हो जाएगी, जिससे जन उपयोगी कार्य भी भविष्य में किया जाएगा।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली द्वारा भेजे गए प्रस्तावित नामों की सूची दिनांक 02.09.2019 तथा दिनांक 13.08.2019 पर विचार करते हुए उक्त धर्मशाला के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक नयी न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, **अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **“श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मशाला, निर्मली, जिला- सुपौल”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मशाला न्यास योजना, निर्मली, जिला-सुपौल”** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मशाला न्यास समिति, निर्मली, जिला- सुपौल”** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा।
4. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
5. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्वद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
6. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
7. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
9. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
10. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
11. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।
12. कार्यरत न्यास समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित जीर्णोद्धार संबंधी नक्शे के संबंध में पर्वद द्वारा अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रति तीन माह में जीर्णोद्धार/विकास का फोटोग्राफ, खर्च राशि तथा आय के स्रोत की जानकारी पर्वद को देते रहेंगे।
13. जो राशि चंदे या किसी माध्यम से आती है, उसे धर्मशाला के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और एक लाख और इससे अधिक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। उपरोक्त सभी राशि का मानिकराम वैद्यनाथ धर्मशाला के नाम से खोले गए बैंक खाता में जमा किया जाएगा व निकासी कम-से-कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से होगा, जिसमें अध्यक्ष/सचिव तथा दूसरे सदस्य कोषाध्यक्ष होगा।
14. **राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री “मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मशाला, निर्मली, जिला- सुपौल” के नाम में किसी प्रकार कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।**

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) श्री सूर्य नारायण कामत पिता- स्व० सीताय कामत | — अध्यक्ष |
| पता-वार्ड नं०-2, पो०+था०+अं०-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 | |
| (2) श्री सुनील कुमार पंसारी पिता- श्री मथुरा प्रसाद पंसारी | — उपाध्यक्ष |
| पता-वार्ड नं०-10, पो०+था०+अं०-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 | |
| (3) श्री अभिषेक कुमार पंसारी पिता- श्री विष्णु कुमार पंसारी | — सचिव |
| पता-वार्ड नं०-11, पो०+था०+अं०-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 | |
| (4) श्री नीतीन चोपड़ा पिता- श्री विनोद चोपड़ा | — कोषाध्यक्ष |
| पता-वार्ड नं०-11, पो०+था०+अं०-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. | |

- | | | | |
|------|--|---|-------|
| (5) | श्री अमोद कुमार सिंह पिता— श्री महेश्वर प्रसाद सिंह
पता—वार्ड नं०-12, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (6) | श्री धीरेन्द्र कुमार राय पिता— स्व० विशवम्भर राय
पता—वार्ड नं०-7, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (7) | श्री गौतम शेखर पिता— श्री अशोक शेखर
पता—वार्ड नं०-6, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (8) | श्री नीतु कुमारी पति— श्री अनिल कुमार
पता—वार्ड नं०-11, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (9) | श्री नीतीन पंसारी पिता— श्री मुरली मनोहर पंसारी
पता—वार्ड नं०-11, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (10) | श्री अजय कुमार चौधरी पिता— श्री विनोद कुमार चौधरी
पता—वार्ड नं०-11, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |
| (11) | श्री आलोक कुमार नाहर पिता— श्री संपतमल नाहर
पता—वार्ड नं०-4, पो०+था०+अं०—निर्मली, जिला—सुपौल—847452. | — | सदस्य |

उपरोक्त न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए बनायी जाती है, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर तथा सत्यापन के पश्चात स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

नोट :- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 878-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>